संख्या/13/78/83 का-1-88

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक: 22 मार्च, 1988

विषय:-सरकारी सेवकों द्वारा की गयी शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन आदि होने पर दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उसके वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके शासकीय धन की क्षतिपूर्ति के प्राविधान सी0सी0ए0रूल्स/पनिशमेन्ट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डीनेट सर्विसेज/सी0एस0आर0 के संगत नियमों में दिये गये हैं। कभी-कभी ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं जब सरकारी सेवक द्वारा की गयी शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली उसके वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके संभव नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबेल्टी के रूप में उक्त हानि की धनराशि को वसूल किये जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता।

2---अतः उपरोक्त प्रकार के मामलों में यह आवश्यक है कि प्रथम चरण में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके सम्पूर्ण धन की क्षति की वसूली संभव है अथवा नहीं। यदि यह संभव न हो तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबेल्टी के रूप में उक्त हानि की धनराशि वसूल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि शासन को हुई आर्थिक क्षति की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति संभव हो सके।

3---मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्णित मामलों में उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जाय।

4---यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को कृपया अपने अधीनस्थों की जानकारी में ला दें, ताकि वे भी तदनुसार कार्यवाही कर सकें।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव।

संख्या- 13/78/83-का(1)88, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जे0डी0 पुरी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0नियुक्ति-8-4-88-(50)-9500हि0।